गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर स्टेशनों में पूछ-ताछ कार्यालय

2619. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर स्टेशनों पर पूछ-ताछ कार्यालयों में टेलीफोन सुनने के लिये किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी स्टेशन के पूछ-ताछ कार्यालय में कोई भी व्यक्ति टेलीफोन नहीं सुनता;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर में अलग से कोई पूछ-ताछ कार्यालय नहीं है। इस लिए इन स्टेशनों पर टेलीफोन द्वारा की गयी पूछ-ताछ का उत्तर देने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग). गंगापुर सिटी स्टेशन पर एक टेलीफोन है, जो सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगा है। वही टेलीफोन द्वारा की गयी पूछ-ताछ का उत्तर देता है।

(घ) टेलीफोन की वर्तमान सुविधा पर्याप्त समझी जाती है। गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर में अलग से पूछ-ताछ कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

2620. **श्री ज्ञा० चुन्दरलाल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1967 से बढ़ाया गया महंगाई भत्ता खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त भत्ते की बढ़ी हुई राशि इन कर्मचारियों को कब तक दे दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) मंहगाई भत्ता दिया जा चुका है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग भवन में शहद की बिक्री

2621. **श्री ज्ञा० चुन्दरलाल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग में अपमिश्रित शहद की खरीद तथा बिक्री के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि इस भवन के प्रबन्धक ने एक ऐसे संगठन से घटिया दर्जे का शहद खरीदा था जो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं था; और

(घ) इस सम्बन्ध में विभागीय जांच किस तारीख तक की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने घटिया दर्जे के शहद की बिक्री के आरोपों के सम्बन्ध में जांच की थी। लेकिन उस अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं की गई है जो जिम्मेदार रहे हों।

(ख) चूंकि खादी ग्रामोद्योग भवन के सहायक प्रबन्धक द्वारा अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील (जिसका खर्च खादी आयोग द्वारा उठाया गया) की गई थी इस लिये विभागीय जांच करना वैध रूप से उपयुक्त नहीं समझा गया। ऐसा समझा जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला दिया गया था जिसमें एक साल की कठोर सजा तथा